

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

अधिसूचना


राँची

दिनांक :- 30.06.14

अधि.सं.-01/स्था.(चालू प्रभार)-10-01/2014-6099 / दिनांक 27.06.2014 को सम्पन्न विभागीय स्थापना समिति की बैठक में की गई अनुशंसा के आलोक में जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियंता (चालू प्रभार) को इनके विरुद्ध दण्ड संसूचित रहने/विभागीय कार्रवाई प्रभावी रहने के कारण उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-03 में अंकित वर्तमान पद एवं स्थान से प्रत्यावर्तित करते हुए उनके मूल पद कनीय अभियंता (असैनिक) के रूप में स्तम्भ-04 में अंकित प्रक्षेत्र में पदस्थापित किया जाता है।

क्रम सं.	पदाधिकारी का नाम/ आई.डी./जन्म तिथि/ गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन स्थान	अभियुक्ति
1	2	3	4	5
1.	श्री दिनेश प्रसाद सिंह जे 5300/02.07.55/बेगुसराय	सहायक अभियंता लघु सिंचाई अनुमंडल, छतरपुर (अधिसूचित)	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची	प्रत्यावर्तन के क्रम में
2.	श्री उमेश कुमार सिंह जे 5593/05.11.56/गया	प्राक्कलन पदाधिकारी सिंचाई अंचल, जसीडीह शिविर देवघर (अधिसूचित)	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची	प्रत्यावर्तन के क्रम में

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,


30.6.14

(विश्वनाथ प्रसाद तांती)


सरकार के अवर सचिव (प्र.)।

ज्ञापांक :- 6099

राँची, दिनांक :- 30.06.14

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को (सी.डी.सहित) राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि गजट प्रकाशन के पश्चात् इसकी 100 (सौ) प्रतियाँ कार्यालय अभिलेख हेतु विभाग को प्रेषित की जाय।


30.6.14

(विश्वनाथ प्रसाद तांती)

सरकार के अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :- 6099


रॉची, दिनांक :- 30.06.14

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड रॉची/ वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड रॉची/ माननीया मंत्री (जल संसाधन विभाग), झारखण्ड के आप्त सचिव (दो प्रतियों में)/ सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, झारखण्ड रॉची/ सचिव, नगर विकास विभाग, झारखण्ड रॉची/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड रॉची/ प्रधान सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड रॉची/ निदेशक, पंचायती राज विभाग, झारखण्ड रॉची/ प्रशासक, सुवर्णरेखा परियोजना, जमशेदपुर/ अभियंता प्रमुख-01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ सभी संयुक्त सचिव/ सभी उप सचिव/ सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ सभी मुख्य अभियंता/ सभी अधीक्षण अभियंता/ सभी कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/ सभी संबंधित पदाधिकारी/ सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ वेब इन्फॉर्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ब, 7यो, एवं 8ए, 8बी, एवं 14 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित कनीय अभियंता अपने पूर्व पदस्थापित स्थान का प्रभार 7 (सात) दिनों के अन्दर सौंपकर नव पदस्थापित प्रक्षेत्र मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, रॉची में अपना योगदान देकर विभाग को सूचित करेंगे।

3. संबंधित मुख्य अभियंता/ अधीक्षण अभियंता/ कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया जाता है कि स्थानीय व्यवस्था से उक्त कनीय अभियंताओं को स्थानीय व्यवस्था से प्रभार दिलाकर 07 (सात) दिनों के अन्दर प्रभार मुक्त करें।

4. संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अधिसूचित सभी पदाधिकारियों का माह जुलाई-2014 का वेतन भुगतान नव पदस्थापित पद के विरुद्ध ही करेंगे।


30.6.14

(विश्वनाथ प्रसाद तांती)

सरकार के अवर सचिव (प्र०)

